(21)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र .

PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा/2018/0567 पुनरीक्षण प्रकरण क्रं.- केम्प उज्जैन

कमलाबाई बेवा मांगीलाल जी कुम्हार उम्र 60 वर्ष

धंधा- खेती नि- सेजपुरिया तह व जिला मंदसौर ---- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

प्रार्थी अभिभाषक श्री हारून रशीद खान
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 04-01-2018
04.01.18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

1 नंदराम पिता देवराम कुमावत

उम्र 40 वर्ष धंधा- खेती

2. झमकलाल पिता देवराम कुमावत

उम्र 37 वर्ष धंधा- खेती

3. कांताबाई बेवा मांगुपुरी गोसाई उम्र 55 वर्ष धंधा- खेती

4. अनिल गिरी पिता मांगुपुरी गोसाई उम्र 24 वर्ष धंधा- खेती

5. रेखाबाई पिता मांगुपुरी गोसाई उम्र 40 वर्ष धंधा- खेती

सभी निवासी ग्राम सेजपुरिया तह व जिला मंदसौर म.प्र. -- प्रत्यर्थीगण

य उज्जैन पर प्राप्त 17-1-18

पेशी 3/1/18

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार मंदसौर आदेश दिनांक 17/11/2017 (नंदराम बनाम कांताबाई व अन्य) प्र.क्रं. 23अ-6/14-15 से असंतुष्ट होकर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भूरा/2018/567

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री हारून रशीद खॉन, अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-11-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से जो रकबा क्रय किया है उसकी चतुर्सीमा भिन्न है तथा उक्त सर्वे नम्बर का पूर्ण रकबा विक्रय नहीं हुआ है । व्यवहार न्यायालय से स्थगन भी नहीं है, इसलिये नामान्तरण की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है इसलिये आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	